भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 468
उत्तर देने की तारीखः 20.11.2019

सिर पर मैला उठाने वालों की मृत्यु को रोकना

468. श्री संजय सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013* के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए की गई पहल क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख) "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (एमएस अधिनियम, 2013) की धारा 5 और 6 के अंतर्गत, मैनुअल स्केवेंजिंग 06.12.2013 जिस तारीख से यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ था, से निषिद्ध है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, जो कोई धारा 5 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो 50 हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों, दण्डनीय होगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत "कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या कोई अभिकरण किसी व्यक्ति को या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी मलनाली या मलाशय की परिसंकटमय सफाई के लिए न तो लगाएगा और न ही नियोजित करेगा। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, जो

कोई, धारा 7 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और किसी पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के संबंध में इंजीनियरों, सफाई निरीक्षकों, सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए नगरपालिकाओं में कार्यशालाएं आयोजित करता है और सुरक्षा यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं की बाध्यता के संबंध में एमएस अधिनियम, 2013 तथा "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियमावली, 2013" (एमएस नियमावली, 2013) के उपबंधों के बारे में जागरुकता भी सृजित करता है तथा सुरक्षा संबंधी सावधानियां भी सुनिश्चित करता है। 02 अक्टूबर, 2018 से 15.11.2019 तक ऐसी 458 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

एनएसकेएफडीसी स्वच्छता उद्यमी योजना नामक योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है, जिसमें सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की मशीनों से सफाई करने के लिए उपकरणों/वाहनों की खरीद हेतु नगरपालिकाओं को 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों से इस संबंध में एनएसकेएफडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए नगरपालिकाओं को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के माध्यम से मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत अभिज्ञात मैनुअल स्केवेंजरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

(i) 40,000 रुपए की एकबारगी सहायता।
(ii) 3,000 रुपए प्रति माह के वजीफे सहित कौशल विकास प्रशिक्षण।
(iii) 3,25,000 रुपए तक पूंजीगत सब्सिडी उन मैनुअल स्केवेंजरों को दी गई है जिन्होंने स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण प्राप्त किए हैं।

*****